Dispatch No. 785
Dated 08-03-2022
H. R. C. Patharchatta

उद्यान अनुसंधान केंद्र,पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,पंतनगर

अल्पकालिक निविदा के माध्यम से केंद्र के आम, लीची, कटहल, चीकू, नाशपाती, आड़ू, एवं प्लम बागों के बिक्री की सूचना

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर 02 फलत वर्षो हेतु दिनांक 23.03.2022 से 31.08.2023 तक आम, लीची, कटहल, चीकू, नाशपाती, आडू एवं प्लम बागों की बिक्री हेतु ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों द्वारा अल्पकालिक निविदा प्रपत्र (Tender Form) दिनांक 11.03.2022 से 19.03.2022 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक) में रु. 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु.360.00 कुल रु. 2,360.00 (रूपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) में नकद/बैंक ड्राफ्ट केंद्र कार्यालय में जमा करते हुये क्रय किये जा सकते है एवं निविदायें दिनांक 16.03.2022 से 21.03.2022 तक कार्यालय समयावधि में (प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक) निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र क्रय की रसीद व तथा धरोहर राशि के ड्राफ्ट के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखें निविदा बाक्स में डाली जायेंगी। निविदायें संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा कार्यालय में दिनांक 22.03.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी तथा निविदा केवल उन्हीं ठेकेदारों/फर्मो की स्वीकार की जायेंगी, जिनके द्वारा दिनांक 16.03.2022 से दिनांक 21.03.2022 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:00 से सायं 4:00 बजे) में क्रय किये गये निविदा प्रपत्र फीस रु. 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु. 360.00 कुल रु. 2360.00 (रूपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) की रसीद एवं निविदा में भाग लेने हेतु **रु. 01 लाख तक की निविदा हेतु रु. 5,000.00, 01 लाख से 05 लाख तक की निविदा हेतु रु. 50,000.00, रु. 05 लाख से रु. 10 लाख तक की निविदा हेतु रु. 1,00,000.00, रु. 10 लाख से रु. 20 लाख तक की निविदा हेतु 1,50,000.00, रु. 20 लाख से रु. 50 लाख तक की निविदा हेतु रु. 2,00,000.00 तथा रु. 50 लाख से अधिक की निविदा हेतु रु. 5,00,000.00** की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो, **नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,** पंतनगर के नाम ***भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक अथवा यूनियन बैंक, पन्तनगर*** शाखा में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखें निविदा बाक्स में डाला गया हो। निविदादाता द्वारा प्रत्येक लाट हेतु पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा अर्थात् एक निविदा प्रपत्र पर केवल एक ही लाट की निविदा धनराशि स्वीकार की जायेगी। निविदा की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं क्रय किये निविदा प्रपत्र (Tender Form) की रसीद की मूल प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं करने की दशा में निविदा बाक्स में डाले गये निविदा प्रपत्र को निरस्त समझा जायेगा।

समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि निविदा में भाग लेने से पूर्व बागों का भली–भॉति निरीक्षण कर ही निविदा डालें, बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

बागों का विवरणः–

विभाग का नाम	लाट सं0.	बागों का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा	लाट सं0–1	आम : 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	27 एकड़
	लाट सं0–2	लीची : 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	44 एकड़
	लाट सं0–3	आम व चीकू क्षेत्र सं0 – 5	12 एकड़
	लाट सं0–4	आम क्षेत्र सं0 – 8एवं 9 (कटहल 03 पेड़, लीची 10 पेड़ एवं चीकू 5 पेड़)	27 एकड़
	लाट सं0–5	आम क्षेत्र सं0 – 10,11	40 एकड़
	लाट सं0–6	आम व कटहल क्षेत्र सं0– 12,13,14 (प्रक्षेत्र सं0 13 में स्थित नाशपाती के 225 पौधें लगभग 6 वर्ष आयु के सहित)	41 एकड़
	लाट सं0–7	आम क्षेत्र सं0 12 बी (आयु 8 वर्ष)	2.5 एकड़
	लाट सं0–8	नाशपाती, कटहल व लीची क्षेत्र सं0– 6,7,15	12 एकड़
	लाट सं0–9	आडू एवं प्लम (अलूचा) क्षेत्र सं0– 7बी एवं 12ए	09 एकड़

अल्पकालिक निविदा की शर्तेः

1. बागों के ठेके की अवधि 31.08.2023 तक होगी।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली–भांति निरीक्षण कर लें। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम निविदादाता एवं द्वितीय उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को छोड़कर अन्य निविदादाता द्वारा जमा किया गया धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा समाप्ति के तुरन्त पश्चात् लौटा दिया जायेगा, परन्तु रु. 2,360/– (रुपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र) की निविदा प्रपत्र फीस (Tender Form Fees) वापस नहीं की जायेगी।
4. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।

5. सफल निविदादाता को उच्चतम निविदा धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) निविदा समाप्ति के पश्चात् जमा करनी होगी, यदि सफल निविदादाता 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) जमा नहीं करता है तो जमा की गई धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक/व्हाट्सअप द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण की दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम निविदा धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी।
7. प्रथम वर्ष फल तुड़ाई से पूर्व उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट केंद्र कार्यालय में सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा करना होगा। जिसको ठेके की समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार को नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
8. द्वितीय वर्ष उच्चतम निविदा धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि (तृतीय किस्त) दिनांक 30.09.2022 तक जमा करनी होगी।
9. शेष 25 प्रतिशत धनराशि (चतुर्थ/अंतिम किस्त) दिनांक 28.02.2023 तक जमा करनी होगी, इस धनराशि में पूर्व में निविदा में प्रतिभाग करने हेतु जमा की गई धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को समायोजित कर लिया जायेगा। यदि सफल निविदादाता द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा किया गया धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट एवं 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि (वापसी योग्य) के बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा। उच्चतम निविदादाता/ठेकेदार द्वारा उच्चतम धनराशि की किस्ते निर्धारित तिथि (समय अवधि) तक जमा न करने की स्थिति में निर्धारित तिथि से अगले 20 दिन तक 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के साथ बाग पर कब्जा लिया जा सकता है। इसके बाद ठेका स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा पूर्व में जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. सफल निविदादाता को निविदा की समस्त धनराशि अपने खाते से बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी। किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
11. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो, उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद आदि के समाधान के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
13. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को **प्रत्येक वर्ष** देनी होगी।

क्र0 सं0	फल बाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले फलों की मात्रा (वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में पृथक–पृथक)	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1.	आम	सं0 – 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	1000 कि0ग्रा0	100 फल
2.	लीची	सं0 – 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	1500 कि0ग्रा0	500 फल
3.	आम व चीकू	सं0 – 5	आम 200 कि0ग्रा0 चीकू 200 कि0ग्रा	100 फल 50 फल
4.	आम	सं0 – 8 एवं 9 (कटहल 03 पेड़, लीची 10 पेड़ एवं चीकू 5 पेड़ सहित)	आम चौसा 800 कि0ग्रा0 अन्य किस्म 200 कि0ग्रा0	100 फल
5.	आम	सं0 – 10,11	आम 1500 कि0ग्रा0	100 फल
6.	आम व कटहल	सं0– 12,13,14 (प्रक्षेत्र सं0 13 में स्थित नाशपाती के 225 पेड़ सहित)	आम 1200 कि0ग्रा0 व कटहल 250 कि0ग्रा0	200 फल –
7.	आम	सं0– 12 बी (आयु 8 वर्ष).	आम 250 कि0ग्रा0	100 फल
8.	नाशपाती कटहल व लीची	सं0– 6,7,15	नाशपाती 400 कि0ग्रा0, लीची 150 कि0ग्रा0 व कटहल 50 कि0ग्रा0	100 फल 100 फल
9.	आडू एवं प्लम (अलूचा)	सं0– 7बी एवं 12ए	आडू 400 कि0ग्रा0 व प्लम 300 कि0ग्रा0	50 फल 50 फल

14. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रु. 100/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।

15. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस/ग्राम प्रधान/विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा।
16. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके ठेकेदार को अवगत् करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है, तो ठेकेदार से उचित क्षतिपूर्ति की भरपाई की जा सकती है, जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्वयक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
17. सफल निविदादाता द्वारा बागों में लगे वृक्षों का कटान नहीं किया जायेगा और न ही उनकी टहनियों की कॉट–छॉट की जायेगी। आड़ू, प्लम एवं नाशपाती में कांट–छांट से सम्बन्धित प्रक्रिया सम्बन्धित फल वैज्ञानिक की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही की जा सकती है।
18. केंद्र द्वारा नर्सरी में फल–पौध तैयार करने हेतु आम, आड़ू, प्लम एवं नाशपाती बाग से साइन लेने एवं लीची बाग में एयर लेयरिंग बॉधने पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
19. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केन्द्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है, तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
20. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अर्न्तगत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
21. सफल निविदादाता को बागों की जुताई, सिंचाई, खाद डालना, रसायन का स्प्रे एवं सुरक्षा चौकीदारी की व्यवस्था इत्यादि समस्त कार्यों की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक/कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि सफल निविदादाता द्वारा बिना अनुमति के किसी रसायन/कीटनाशक का छिड़काव वृक्षों पर करने के उपरान्त वृक्ष सूखता है अथवा फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का आंकलन केंद्र द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा एवं सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली की जायेगी।
22. सफल निविदादाता को किसी भी सामग्री/फल को केंद्र से बाहर ले जाने हेतु केंद्र कार्यालय से गेट–पास प्राप्त करना होगा, बिना गेट–पास के केंद्र से कोई सामान बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
23. सफल निविदादाता बाग में किसी अन्य फसल का उत्पादन नहीं कर सकता है।
24. केंद्र द्वारा बनाये गये रास्तों का उपयोग ही सफल निविदादाता को करना होगा। किसी नये रास्ते का निर्माण अथवा बाउण्ड्री को तोड़कर अपना सामान/फल ले जाने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो सफल निविदादाता पर दण्ड/जुर्माना लगाया जायेगा।
25. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तो का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तो का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 25 तक) मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं तथा मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता...

पूरा नाम...

पिता का नाम...

ग्राम एवं पो0...

तहसील ....   जनपद...

पिन ....   दूरभाष स0 ....

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

उद्यान अनुसंधान केन्द्र
पत्थरचट्टा